

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में वन विभाग की ओर से श्री श्रीमल नरन जखमेली का आ राजस्व विभाग / नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से श्री देवेंद्र जिन्ना का आ तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री श्रीधर सिंह द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 405 हे०, प्राइवेट फॉरेस्ट भूमि NIL हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि NIL हे०, वन पंचायत भूमि NIL हे० एवं नाप भूमि NIL हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। दि 19-10-2017

कालसी मधुना पुल से कालसी 28 लड़ आरमिल कच	13.5 कि. मी
कफा सँव्य)	13, 16, 18, 27, 28

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाता है).....प्रस्तावित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

50/-

Bingo

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

50 / —

9/10/17
O Si (Kant)

राजस्व विभाग, प्रतिनिधि
नागचन्द्र
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र: कालिया
तहसील: कालिया (दिल्ली)
पुनर्जाति

80 /

वन क्षेत्राधिकारी

वन-विभाग प्रतिनिधि

उप-प्रधान सचिव
सकलता का प्रभाव
कावसी

प्रति हस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी

1. Dr.
Dr. A. A. A.
A. A. A.



 ज्योती
 साहेबराव
 ज्योती
 प्रदीप
 कलसी